

प्रेस नोट दिनांक 15.11.2021 जनपद मेरठ ।



प्रेस नोट थाना कंकरखेडा जनपद मेरठ दिनांक 15.11.2021

सर्विलांस टीम व थाना कंकरखेडा पुलिस जनपद मेरठ द्वारा लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए लूटे गये माल के साथ तीन अभियुक्तगण मय अवैध शस्त्र व वाहन के साथ गिरफ्तार ।

अवगत कराना है कि दिनांक 03/11/2021 को 5-4 बदमाशों द्वारा वंडर सिटी के पास यार्ड में घुसकर गाड़ियों की बैटरीया एवं इंजन खुला हुआ व एक कार क्विड स0 up 14CY 1802 को लूट कर व यार्ड के गार्ड रोहित पुत्र अशोक निवासी छोटी पावटी थाना जानी व अकित पुत्र भरत सिंह नि छोटी पावटी थाना जानी मेरठ के साथ मारपीट कर 0CCTV कैमरे व DVR भी ले गए थे जिसके सम्बन्ध में वादी श्री उमेश चन्द्रवंशी पुत्र शिव शंकर नि0 286 शास्त्री नगर मेरठ द्वारा एक लिखित तहरीर के आधार पर थाना हाजा पर मु0अ0सं0-811/21 धारा-459 भादवि में अभियोग पजीकृत किया गया

उक्त घटना के अनावरण हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ महोदय के कुशल निर्देशन एवम पुलिस अधीक्षक नगर मेरठ व पुलिस अधीक्षक अपराध व क्षेत्राधिकारी दौराला मेरठ के कुशल पर्यवेक्षण मे थाना कंकरखेडा पुलिस एवं सर्विलांस टीम मेरठ द्वारा विवेचना के दौरान उपरोक्त मुकदमें में लूटपाट पाए जाने पर धारा-395 भादवि के अपराध का होना पाया गया जिसके सम्बन्ध में उच्चाधिकारियों द्वारा टीमों गठित की गई, थाना कंकरखेडा पुलिस टीम व सर्विलांस टीम जनपद मेरठ ने संयुक्त रूप से लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए मय माल के 03 नफर अभियुक्तों को लूटे गये सामान के साथ गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तारी- बरामदगी का संक्षिप्त विवरण/ थाना कंकरखेडा पुलिस एवं सर्विलांस टीम प्रभारी श्री योगेंद्र कुमार सिंह को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि आप मु0अ0सं0-811/21 धारा-395 भादवि में जिन अभियुक्तों की तलाश कर रहे है उनमे से 03 अभियुक्त लूटी गई क्विड गाडी से चोरी का माल बेचने की फिराक मे भोला रोड पर निलकंठ मंडप के पास खडे है इस सूचना पर अपराध निरीक्षक हरिओम सिंह मय पुलिस बल व सर्विलांस टीम प्रभारी योगेंद्र सिंह मय पुलिस बल के साथ निलकंठ मंडप के पास पहुंचे तो सफेद रंग की एक क्विड गाडी नं0UP14CY 1802 में तीन व्यक्ति बैठे थे, जिन्हें हिरासत पुलिस में लिया गया पकडे गये अभियुक्तों से नाम पता पूछा तो 01. सैफ अली पुत्र इकरामुद्दीन नि0 छोटी मस्जिद के पास ग्राम शोभापुर थाना कंकरखेडा मेरठ 02. रिजवान पुत्र यामीन निवासी डिफेंस कालोनी निकट निवाडी पुलिस चौकी कस्बा व थाना मोदीनगर जनपद गाजियाबाद 03. अनस पुत्र नौशाद निवासी मौहल्ला किदवई नगर गुरुद्वारा रोड कस्बा व थाना मोदीनगर जनपद गाजियाबाद बताया गाडी की तलाशी ली गयी तो लूटा हुआ निम्नवत माल बरामद हुआ तथा अभिरिजवान के पास से 0 बोर बरामद हुआ 315 एक अद्द तंमचा तथा पूछताछ पर अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि हम लोगो द्वारा मेरठ व जिला

गाजियाबाद के थाना कवि नगर क्षेत्र मे लगभग दो माह पहले एक फैक्ट्री मे दो गार्डों को बन्धक बनाकर तांबा व पीतल का सामान भी लूटा था जानकारी करने पर ज्ञात हुआ उक्त घटना के सम्बन्ध मे थाना कवि नगर जनपद गाजियाबाद पर मु0अ0सं0 1521/21 धारा /442392 पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता: -

1. सैफ अली पुत्र इकरामुद्दीन नि0 छोटी मस्जिद के पास ग्राम शोभापुर थाना कंकरखेडा मेरठ
2. रिजवान पुत्र यामीन निवासी डिफैन्स कालोनी निकट निवाडी पुलिस चौकी कस्बा व थाना मोदीनगर जनपद गाजियाबाद
3. अनस पुत्र नौशाद निवासी मौहल्ला किदवई नगर गुरुद्वारा रोड कस्बा व थाना मोदीनगर जनपद गाजियबाद

वांछित अभियुक्त

1. इमरान पुत्र सलीम नि0 ग्राम खडौली थाना कंकरखेडा मेरठ
2. समीर पुत्र शाकिर नि0 खडौली थाना कंकरखेडा मेरठ।

गिरफ्तार अभियुक्त से बरामदगी का विवरण: -

01. एक गाडी क्विड सफेद रंग नं0 UP14CY 1802 जिसका इंजन नं0 E049086 चैसिस नं0 MEEBBA001G4353813
02. एक डंडा बांस करीब साढे चार बालिस्त,
03. एक लोहे की राड
04. ,एक पाना जंग लगा हुआ ,
05. 04 सीसीटीवी कैमरे अलुहा कम्पनी
06. एक गाडी के इंजन का पिस्टन(पार्ट)
07. एक मोबाईल डबल सिम सैमसंग 4जी जिसका IMEI NO.-3595933/07/665710/6 , 359594/07/665710/4
08. 09 बैट्री अलग अलग कम्पनी की
09. एक नाजायज तमंचा 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

- 1.अ0नि0 हरिओम सिंह थाना कंकरखेडा मेरठ
2. उ0नि0 वीरेन्द्र पाल सिंह थाना कंकरखेडा मेरठ
3. उ0नि0 श्री योगेन्द्र पाल सिंह सर्विलांस प्रभारी प्रभारी जनपद मेरठ
4. उ0नि0 लोकेश कुमार सर्विलांस सेल जनपद मेरठ
- 5.है0का0 475 शांतुल कुमार थाना कंकरखेडा मेरठ
6. है0का0 196 शहनवाज राणा सर्विलांस सेल जनपद मेरठ
- 7.है0का0 1163 नरेन्द्र नागर सर्विलांस सेल जनपद मेरठ
8. है0का0 918 ब्रहम जीत सर्विलांस सेल जनपद मेरठ
9. का0 551 संतरपाल सिंह सर्विलांस सेल जनपद मेरठ
- 10.का0 244 अमित कुमार सर्विलांस सेल जनपद मेरठ
- 11 का0 32 मनवीर सर्विलांस सेल जनपद मेरठ
- 12.का0 431 राहुल कुमार सर्विलांस सेल जनपद मेरठ
- 13.का0 186 रविद्र मलिक थाना कंकरखेडा मेरठ

प्रेसनोट मेडिकल



अवगत कराना है कि दिनांक 14.11.2021 को थाना मैडिकल पर श्री संजय कुमार पुत्र श्री जयकरण सिंह निवासी 34 डी कालियागढी थाना मेडिकल जनपद मेरठ मय खुद की पत्नि श्रीमति संगीता पत्नि संजय निवासी उपरोक्त मय एक नफर अभियुक्त जयकरण सिंह पुत्र स्व0 भरत सिंह निवासी 34 डी कालियागढी थाना मेडिकल जनपद मेरठ मय एक अदद तमंचा देशी 303 बोर मय 9 अदद कारतूस जिन्दा 315 बोर मय एक किता तहरीर हिन्दी हस्तलिखित व दस्तरखती वादी बाबत वादी खुद के पिता जयकरण पुत्र उपरोक्त के कब्जे से बरामद होना के सम्बन्ध में के उपस्थित थाना आए। प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 624/2021 धारा 3/7/25 आर्म्स एक्ट बनाम जयकरण सिंह पुत्र स्व0 भरत सिंह निवासी 34 डी कालियागढी थाना मेडिकल जनपद मेरठ नियमानुसार पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

नाम अभियुक्तगण:-

1. जयकरण सिंह पुत्र स्व0 भरत सिंह निवासी 34 डी कालियागढी थाना मेडिकल जनपद मेरठ

अपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 624/2021 धारा 3/7/25 आर्म्स एक्ट

अभियुक्त- जयकरण सिंह पुत्र स्व0 भरत सिंह निवासी 34 डी कालियागढी थाना मेडिकल जनपद मेरठ

सराहनीय कार्य जनपद मेरठ

दिनांक 15.11.2021



थाना टीपीनगर पुलिस द्वारा लूट की योजना बनाते 02 अभि0गण को मय तमंचा, कारतूस व अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया।

अवगत कराना है कि थाना टीपीनगर पुलिस द्वारा अभि0गण 1. विशाल पुत्र इन्द्रपाल निवासी बिजली घर के पास मलियाना थाना टी0पी0 नगर मेरठ 2. शिवराज पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी शेरावाली गली शिवपुरम मोहकमपुर मेरठ को लूट की योजना बनाते हुए मय एक तमंचा 12 बोर व 1 जिन्दा कारतूस व एक अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभि0गण का नाम पता:-

1. विशाल पुत्र इन्द्रपाल निवासी बिजली घर के पास मलियाना थाना टी0पी0 नगर मेरठ
2. शिवराज पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी शेरावाली गली शिवपुरम मोहकमपुर मेरठ

बरामदगी का विवरण:-

- 1.अभि0 विशाल के कब्जे से एक अदद तमंचा 12 बोर मय एक जिन्दा कारतूस
- 2.अभि0 शिवराज के कब्जे से एक अदद चाकू नाजायज

आपराधिक इतिहास अभियुक्तगण:-

- 1.मु0अ0सं0 585/21 धारा 401 भादवि बनाम विशाल व शिवराज
- 2.मु0अ0सं0 586/21 धारा 3/25 आर्मस एक्ट बनाम विशाल
- 3.मु0अ0सं0 587/21 धारा 4/25 आर्मस एक्ट बनाम शिवराज

प्रेस नोट थाना मवाना जनपद मेरठ

थाना मवाना पुलिस द्वारा होटल/ ढाबे पर फायरिंग करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया ।

अवगत कराना है कि दिनांक 03/10/2021 को वादी रोहित पुत्र रविन्द्र सिंह निवासी ग्राम मुबारिकपुर थाना मवाना जिला मेरठ ने अपने ग्राम कौल के पास स्थित श्री साई फैमली ढाबा चार -पांच व्यक्ति नाम पता अज्ञात के विरुद्ध मु0अ0सं0 457/2021 धारा 147/148/323/504/307/506 भादवि पंजीकृत कराया था। विवेचना के दौरान अभियुक्तगण 1. दीपांशु पुत्र जितेन्द्र 2. बिन्नी उर्फ रितिक पुत्र बबलू चौधरी निवासीगण ग्राम भैंसा थाना मवाना जनपद मेरठ 3. सारंग पुत्र योगेश निवासी ग्राम कौल थाना मवाना जनपद मेरठ का नाम प्रकाश में आया आज दिनांक 15/11/2021 को वांछित अभियुक्त सारंग पुत्र योगेश निवासी ग्राम कौल थाना मवाना मेरठ को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है ।



सराहनीय कार्य जनपद मेरठ

दिनांक 15.11.2021



थाना जानी पुलिस द्वारा उत्तर प्रदेश में उ0नि0सि0पुलिस/PC(PAC) /FSSO DIRECT RECRUTMENT वर्ष 2020,2021 में परीक्षार्थियों के फर्जी दस्तावेज तैयार कर उसके स्थान पर अन्य व्यक्ति को भेजकर पेपर साल्व करने वाले साँल्वर गैंग के दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मेरठ द्वारा अपराधियों की धर पकड हेतु चलाये गये अभियान व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सरधना मेरठ के निर्देशन में थाना प्रभारी थाना जानी जनपद मेरठ के नेतृत्व में दिनांक 14.11.21 को ITM कालेज बागपत रोड पर उ0नि0सि0पुलिस/PC(PAC)/FSSO DIRECT RECRUTMENT वर्ष 2020,2021 परीक्षा की तृतीय पाली समय 16.00 बजे शाम प्रारम्भ होने जा रही थी तभी ITM COLLEGE पांचली के मेन गेट पर परीक्षार्थी के प्रवेश पत्र व पहचान पत्रों की जाँच की जा रही थी गेट पर परीक्षार्थी मानवेन्द्र सिंह S/O राजेश कुमार निवसी कोटकी जिला फिरोजाबाद के पहचान पत्र व प्रवेश पत्र की जाँच की गई तो फोटो मिलान नहीं हो पाया शक होने पर इस व्यक्ति से मुख्य परीक्षा अधिकारी एन0एस0ई0आई0टी0 केन्द्र आईटीएम कालेज बागपत रोड मेरठ श्री शाहरूख अन्सारी पुत्र अब्दुल हनीफ नि0 नसीरपुर बादशाहापुर थाना पथरी जिला हरिद्वार उ0ख0 द्वारा ड्यूटी में लगे पुलिस कर्मियों उ0नि0 श्री शुभम गुप्ता व है0का0 भोपेन्द्र व है0का0 अरुण के साथ पूछताछ की गई तो उस व्यक्ति ने अपना नाम आशुतोष मनी त्रिपाठी S/O सुशील मनी त्रिपाठी वार्ड नं0 8 म0नं0 9 देवरया खास हनुमान मन्दिर के पास देवरया बताया और इसने बताया की मेरे व मेरे साथियों 2.साहिर खान पुत्र हनीफ खान निवासी ग्राम लालपुर थाना खुर्जा जिला बुलन्दशहर 3. मानवेन्द्र सिंह पुत्र राजेश कुमार निवासी कोटकी जिला फिरोजाबाद 4.अमित निवासी टुडला जिला फिरोजाबाद 5.अमित निवासी बिसनपुरा बैहटा पटना के द्वारा सरकारी नौकरी में नौकरी लगाने को लेकर अभ्यर्थियों के फर्जी प्रपत्र तैयार कर तथा प्रवेश पत्र पर अभ्यर्थियों के स्थान पर अन्य व्यक्ति के फोटो चस्पा कर अन्य व्यक्ति द्वारा परीक्षा दिलवाई जाती है । अभियुक्त आशुतोष मणि त्रिपाठी के कब्जे से मानवेन्द्र का फर्जी प्रवेश पत्र व आधार कार्ड मिला है जिस पर अभियुक्त आशुतोष मणि त्रिपाठी का फोटो लगा है एवम् सोहनपाल सिंह पुत्र ललुलाल घुसकर रोड ग्राम मोहम्दाबाद अमेठी लखनऊ का आधार कार्ड बरामद हुआ है आधार कार्ड के बारे में जानकारी करने पर बताया कि दिनांक 13.11.2021 को अभियुक्त आशुतोष मणि त्रिपाठी द्वारा प्रथम पाली 9.00 TO 11.00 बजे आलम चोक रूस्तमपुर गोरखपुर में स्थापित कालेज में उ0नि0 की परीक्षा सोहनपाल की जगह पर साथी अभियुक्तों के सहयोग से फर्जी प्रपत्र तैयार कर दी गई थी एवम् दूसरे अभियुक्त साहिर खान पुत्र हनीफ खान निवासी ग्राम लालपुर थाना खुर्जा जिला बुलन्दशहर को भी मौके से ही गिरफ्तार किया गया है दोनों ने बताया कि जिस गाडी से हम आये थे

वह गाडी अर्टिगा रजिस्ट्रेशन नम्बर UP 85 AJ 0030 बाहर खडी है जिसको हम सभी लोग 3500 रूपये मे बुक करके लाये थे हमारे बाकी साथी गाडी मे बैठे है और आशुतोष मणि त्रिपाठी का मोबाइल भी वही पर रखा है । बाकी साथियो की तलाश की गयी दो साथी अभियुक्त अमित टुन्डला ,अभियुक्त मानवेन्द्र गाडी मे नही मिले गाडी से आशुतोष का मोबाइल MI रंग PINK जिसका IMEI NO 869781038487307 व 869781038487315 जिसमें SIM NO 7652013155 JIO पडा है बाकी साथियो के बारे मे पता करने पर साहिर द्वारा बताया गया कि दिनांक 13/11/2021 को अमित टुन्डला ने अपने मो0 नं0 6200885107 व 9548713043 द्वारा मेरे मो0नं0 9536374755 पर फोन पर बताया की थी और बताया था कि कल दिनांक 14/11/2021 को मेरे भाई मानवेन्द्र का मेरठ मे उ0नि0 का पेपर है । एक गाडी बुक कर लो मेरठ चलना है तभी मैने एक गाडी 3500 रूपये में मेरठ के लिए बुक कर ली और अलीगढ 14/11/2021 को सुबह 9.00 बजे करीब स्टेशन पर पहुंच गया वहाँ पर मुझे अमित टुन्डला व मानवेन्द्र मिला अमित पटना के बारे में पूछने पर आशुतोष ने बताया की अमित के द्वारा मेरे फोन नं07652013155 पर अपने फोन नं0 6200885107 व 6207416446 व 9006716375 पर सम्पर्क किया गया तथा गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर मिलने को कहाँ वहाँ से हम लोग ट्रेन से अलीगढ पहुंचे थे वहाँ हमे हमारे दूसरे साथी अमित टुन्डला व साहीर व मानवेन्द्र मिले वहाँ से हम लोग गाडी से स्टेशन के पास मुस्कान होटल पर गये वहाँ पर कमरा नं0 101 में रुके वही पर हम सभी ने मानवेन्द्र को नाम के फर्जी कागजात तैयार किये मानवेन्द्र से परीक्षा में पास कराने के इवज में 8 लाख रूपय तय हुए थे जिस पर मुझे 75000 रूपये हिस्सा मिलना था मेरे PNB के खाते मे अमित पटना द्वारा अपने किसी साथी से 20000 रूपये फोन पे के माध्यम से डलवाये है मेरा खाता नं0 1507000102654100 है इसके बाद आशुतोष अपने साथी अमित टुन्डला मानवेन्द्र व साहीर के साथ गाडी में मेरठ के लिए चल दिए तथा अमित पटना वही होटल पर रुक गया अभ्यार्थियो से लिए गये पैसो मेंसे हम सभी लोग अपना हिस्सा लेते है उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0स0 326/2021 धारा 467,468,471,420,120बी भादवि बनाम 1.आशुतोष मणि त्रिपाठी पुत्र सुशील मणि त्रिपाठी निवासी वार्ड नं0 8 म0नं0 9 देवरया खास हनुमान मन्दिर के पास देवरिया 2.साहिर खान पुत्र हनीफ खान निवासी ग्राम लालपुर थाना खुर्जा जिला बुलन्दशहर 3. मानवेन्द्र सिंह पुत्र राजेश कुमार निवासी कोटकी जिला फिरोजाबाद 4.अमित निवासी टुडला जिला फिरोजाबाद 5.अमित निवासी बिसनपुरा बैहटा पटना पंजीकृत कर गिरफ्तार शुदा अभियुक्त 1.आशुतोष मणि त्रिपाठी पुत्र सुशील मणि त्रिपाठी निवासी वार्ड नं0 8 म0नं0 9 देवरया खास हनुमान मन्दिर के पास देवरिया 2.साहिर खान पुत्र हनीफ खान निवासी ग्राम लालपुर थाना खुर्जा जिला बुलन्दशहर को जेल भेजा जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता:-

- 1.आशुतोष मणि त्रिपाठी पुत्र सुशील मणि त्रिपाठी निवासी वार्ड नं0 8 म0नं0 9 देवरया खास हनुमान मन्दिर के पास देवरिया
- 2.साहिर खान पुत्र हनीफ खान निवासी ग्राम लालपुर थाना खुर्जा जिला बुलन्दशहर

बरामदगी का विवरण:-

- 1.एक मोबाइल MI कम्पनी जिसका IMEI NO 869781038487307 व 869781038487315 जिसमे SIM 7652013155 जिओ कम्पनी
2. एक फर्जी प्रवेश पत्र मानवेन्द्र व एक फर्जी आधार कार्ड छायाप्रति मानवेन्द्र जिस पर अभियुक्त आशुतोष मणि त्रिपाठी का फोटो लगा है व सोहनपाल सिंह का आधार कार्ड नं0 880009241204
3. अभियुक्त साहिर से प्राप्त एक मोबाइल REALME रंग निला IMEI NO 868513044599337 व 868513044599929 व SIM NO 9536374755

सराहनीय कार्य जनपद मेरठ

दिनांक 15.11.2021



थाना दौराला पुलिस द्वारा गश्त के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक अदद तमन्चा 315 बोर बरामद हुआ।

अवगत कराना है कि कल दिनांक 14.11.21 को गश्त के दौरान थाना दौराला पुलिस द्वारा अभियुक्त ललित पुत्र रामफल नि0 ग्राम मछरी थाना दौराला जनपद मेरठ को मछरी कट पर समय करीब 21.20 बजे गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से एक अदद तमन्चा 315 बोर बरामद हुआ। इस सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 383/21 धारा 25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

ललित पुत्र रामफल नि0 ग्राम मछरी थाना दौराला जनपद मेरठ

बरामदगी का विवरण:-

1. एक अदद तमन्चा 315 बोर

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 383/2021 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना दौराला जनपद मेरठ

प्रेस नोट थाना लिसाडी गेट जनपद मेरठ

दिनांक 15.11.2021



अवगत कराना है कि वादी उ0नि0 श्री कुलदीप सिंह तत्कालीन चौकी प्रभारी पिलोखडी थाना लिसाडी गेट मेरठ द्वारा दिनांक 19.06.2021 को थाना हाजा पर तहरीरी सूचना अंकित करायी गयी कि दिनांक 18.06.2021 को समय 03.30 बजे सुबह तीन चार अज्ञात अभियुक्त गण द्वारा पशुओं का अवैध कटान करके पशुओं के अवशेष नाले में फेंक देना। इस सूचना पर मु0अ0सं0 267/21 धारा 429 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम की बढोतरी की गयी व अभियुक्त (1) रिजवान उर्फ बब्बो पुत्र इकबाल निवासी मेवगढी मजीदनगर थाना लिसाडी गेट मेरठ, (2) कामिल पुत्र शमशेर निवासी सुहैल गार्डन थाना लिसाडी गेट मेरठ, (3) बिलाल निवासी श्यामनगर, (4) शादाब पुत्र इकबाल निवासी मेवगढी मजीदनगर थाना लिसाडी गेट मेरठ, (5) इरशाद निवासी समर गार्डन के नाम प्रकाश में आये। आज दिनांक 15.11.2021 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मेरठ व पुलिस अधीक्षक नगर जनपद मेरठ व क्षेत्राधिकारी कोतवाली के निर्देशों के अनुक्रम में थाना लिसाडी गेट मेरठ पुलिस द्वारा अभियुक्त (1) रिजवान उर्फ बब्बो पुत्र इकबाल निवासी मेवगढी मजीदनगर थाना लिसाडी गेट मेरठ, (2) कामिल पुत्र शमशेर निवासी सुहैल गार्डन थाना लिसाडी गेट मेरठ को लिसाडी रोड बीएस पैलेस के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

- (1) रिजवान उर्फ बब्बो पुत्र इकबाल निवासी मेवगढी मजीदनगर थाना लिसाडी गेट मेरठ,
- (2) कामिल पुत्र शमशेर निवासी सुहैल गार्डन थाना लिसाडी गेट मेरठ

आपराधिक इतिहास:-

मु0अ0सं0 267/2021 धारा 429 भादवि व 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम

सराहनीय कार्य जनपद मेरठ

दिनांक 15.11.2021

थाना मवाना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में गौकशी करने वाली अभियुक्ता को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

अवगत कराना है कि आज दिनांक 15/11/2021 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, क्षेत्राधिकारी मवाना के कुशल नेतृत्व में मवाना पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना हाजा पुलिस द्वारा वन्दना विहार मौ० मुन्नालाल कस्बा व थाना मवाना जनपद मेरठ दबिश दी गयी तो अभियुक्ता शमा पत्नि इमरान निवासी वन्दना विहार मौ० मुन्नालाल कस्बा व थाना मवाना जनपद मेरठ को मय 1 किग्रा गौमांस के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्ता से पूछताछ में अभियुक्ता द्वारा अपने साथी इमरान पुत्र वकील, इन्तजार पुत्र वकील, वकील पुत्र अज्ञात, शमशाद पुत्र अज्ञात के साथ गौकशी करना स्वीकार किया है। अभियुक्ता के साथी बादस्तूर फरार है। थाना मवाना पर अभियुक्ता व अभियुक्ता के अन्य साथियों के खिलाफ मु०अ०सं० 515/21 धारा 3/5/8 उ०प्र० गोवध अधिनियम पंजीकृत किया गया। अभियुक्ता शमा उपरोक्त को जेल भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम:-

1. शमा पत्नि इमरान निवासी वन्दना विहार मौ० मुन्नालाल कस्बा व थाना मवाना जनपद मेरठ।

सराहनीय कार्य जनपद मेरठ

दिनांक 15.11.2021



थाना मेडिकल पुलिस द्वारा, दो अभियुक्तों को सोने व चाँदी के आभूषण लूट कर ले जाते समय मय सामान के पकड़ लेना व 5 अदद अंगूठी जिनमें 3 अदद पीली धातू की तथा 2 अदद सफेद धातू की व एक अदद मोटर साइकिल UP15DD2253 एचएफ डीलक्स रंग काला व एक अदद तमंचा 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया ।

अवगत कराना है कि दिनांक 14.2021 को थाना मैडिकल पर श्री सन्दीप बंसल पुत्र श्री सी0 पी0 बंसल निवासी म0न0-532/2 शास्त्रीनगर थाना नौचन्दी जनपद मेरठ मय हमराही शिवा भारद्वाज पुत्र श्री हरिओम दत्त निवासी गली नं0 2 अशोक नगर थाना मैडिकल जनपद मेरठ व राजेश्वर चौहान पुत्र किशोरी लाल निवासी सैक्टर 2 शास्त्रीनगर थाना नौचन्दी जनपद मेरठ मय उ0नि0 श्री भूरेन्द्र सिंह चौहान क्राइम ब्रान्च मेरठ मय दो नफर अभियुक्तगण (1) सन्दीप कुमार पुत्र रमेश कुमार ग्राम फफूडा थाना खरखौदा जनपद मेरठ 2. जौनी पुत्र नफे सिंह निवासी एल 1099 शास्त्रीनगर थाना मेडिकल जनपद मेरठ के गिरफ्तारशुदा जेरे निगरानी खुद व हमराही व एक किता फर्द बाबत अभियुक्तगण द्वारा सोने व चाँदी के आभूषण लूट कर ले जाते समय मय सामान के मारपीट कर पकड़ लेना व 5 अदद अंगूठी जिनमें 3 अदद पीली धातू की तथा 2 अदद सफेद धातू की व एक अदद मोटर साइकिल UP15DD2253 एचएफ डीलक्स रंग काला व एक अदद तमंचा 315 बोर के उपस्थित थाना आए । प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 626/2021 धारा 392/411 भादवि बनाम सन्दीप व जौनी तथा मु0अ0सं0 627/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम सन्दीप उपरोक्त के विरुद्ध नियमानुसार मुकदमा पंजीकृत किया गया है । अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

उक्त के क्रम में दिनांक 14/11/2021 को थाना मैडिकल पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1. सन्दीप कुमार पुत्र रमेश कुमार ग्राम फफूडा थाना खरखौदा जनपद मेरठ 2. जौनी पुत्र नफे सिंह निवासी एल 1099 शास्त्रीनगर थाना मेडिकल जनपद मेरठ को गिरफ्तार किया गया, जिनके द्वारा सोने व चाँदी के आभूषण लूट कर ले जाते समय मय सामान के मारपीट कर पकड़ लेना व 5 अदद अंगूठी जिनमें 3 अदद पीली धातू की तथा 2 अदद सफेद धातू की व एक अदद मोटर साइकिल UP15DD2253 एचएफ डीलक्स रंग काला व एक अदद तमंचा 315 बोर ।

पूछताछ का विवरण:-

1. सन्दीप कुमार पुत्र रमेश कुमार नि0 ग्राम फफूडा थाना खरखौदा मेरठ ने पूछने पर अपने जुर्म का इकबाल करते हुए बताया कि साहब मैं पहले भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में नौकरी करता था । 2019 में मैंने इसी तरह से अपने एक दोस्त के साथ मिलकर थाना बसंतपुर जिला राजनंद गांव छत्तीसगढ़ में एक ज्वैलर्स के दुकान में घटना की थी । जेल जाने के बाद जब वहाँ से छूटा तो फिर मैं अपने घर आ गया था और यहीं बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर मेरे पिता की कम्पनी जेडीडी इन्फ्राटेक प्रा0 लि0 के नाम से काम कर रही है जिसे मेरा भाई देखता है । मेरा भाई मुझे मेरे शौक आदि के लिए पैसे नहीं देता है । इसी कारण शराब और अपने शौक के लिए रुपये का इंतजाम करने के लिए लूट चोरी की घटनायें करता हूँ । म0सा0 UP 15 DD 2253 HF

डीलक्स मेरे पिता की कम्पनी जेडीडी इन्फ्राटेक प्र0 लि0 के नाम रजिस्टर्ड है। इसको मैं चोरी व लूट की घटनाओं में इस्तेमाल करता हूँ।

2. जोनी पुत्र नफे सिंह नि0 एल 1099 शास्त्रीनगर थाना मैडिकल मेरठ ने पूछने पर अपने जुर्म का इकबाल करते हुए बताया कि साहब मैं बिजली मिस्त्री का काम करता था। मेरी दुकान भूतनाथ चौराहे पर थी। करीब 04 महीने से मेरी दुकान बंद है। मैं अपने शौक और शराब के लिए कभी चोरी और लूट कर लेता, घरवाले मेरे पिता एक स्कूल में चपरासी हैं। मुझे इन सब चीजों के लिए रुपये नहीं देते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगणों का नाम:-

1. सन्दीप कुमार पुत्र रमेश कुमार नि0 ग्राम फफूडा थाना खरखौदा मेरठ
2. जोनी पुत्र नफे सिंह नि0 एल 1099 शास्त्रीनगर थाना मैडिकल मेरठ

बरामदगी का विवरण:-

अभियुक्तगणों द्वारा लूटी गयी 5 अदद अंगूठी जिनमें 3 अदद पीली धातू की तथा 2 अदद सफेद धातू की व एक अदद मोटर साइकिल UP15DD2253 एचएफ डीलक्स रंग काला व एक अदद तमंचा 315 बोर बरामद किया गया।

“प्रेस विज्ञप्ति”

अवगत कराना है कि आज दिनांक: 15-11-2021 को मेरठ जोन, मेरठ 21वीं अन्तरजनपदीय पुलिस रिवाल्वर/रायफल/कारबाईन/पिस्टल शूटिंग एवं एलार्म इफीसियेंसी रेस (असाल्ट) प्रतियोगिता-2021 का उदघाटन मा0 मुख्य अतिथि, श्री प्रवीण कुमार, पुलिस महानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र, मेरठ के कर-कमलों द्वारा 6वीं वाहिनी पी0ए0सी0, मेरठ के असाल्ट ग्राउण्ड पर प्रतियोगिता का उदघाटन किया गया। उक्त अवसर पर श्री प्रभाकर चौधरी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ, श्री केशव कुमार, पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण, श्री जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, अपर पुलिस अधीक्षक, यातायात /एसपी लाईन, श्री सूरज कुमार राय, सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी, कैंट/लाईन्स, श्री चन्द्रकांत मीणा (IPS U/T) सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी, किठौर, श्री आशीष शर्मा, क्षेत्राधिकारी, दौराला, मेरठ एवं प्रतियोगिता के आयोजन स्थल 6वीं वाहिनी पी0ए0सी0, मेरठ से श्रीमती चारु निगम, सेनानायक, 6वीं वाहिनी पी0ए0सी0, मेरठ, श्री अनिल कुमार, उपसेनानायक, 6वीं वाहिनी पी0ए0सी0, मेरठ आदि उपस्थित रहे। उक्त प्रतियोगिता में मेरठ जोन के समस्त जनपदों गाजियाबाद/मेरठ/सहारनपुर/बुलन्दशहर/मु0नगर/गौतमबुद्धनगर/बागपत एवं शामली द्वारा प्रतिभाग किया गया। जनपद हापुड़ द्वारा किन्हीं अपरिहार्य कारणों से उक्त प्रतियोगिता में प्रतिभाग नहीं किया जा सका। प्रतियोगिता के प्रथम दिन एलार्म इफीसियेंसी रेस (असाल्ट) प्रतियोगिता-2021 से सम्बन्धित विभिन्न बाधाएं दौड़ करायीं गयीं। जनपदों से आयीं टीमों द्वारा उक्त प्रतियोगिता में बहुत उत्साह/जोश के साथ स्पर्धाओं में प्रतिभाग किया गया। इसी क्रम में कल दिनांक: 16-11-2021 को पुलिस रिवाल्वर/रायफल/कारबाईन/पिस्टल शूटिंग इवेंट सोफीपुर स्थित सेना के फायरिंग बट "जी" पर कराया जायेगा तत्पश्चात प्रतियोगिता का समापन समारोह पुलिस लाईन्स स्थित बहुउद्देशीय हाल में समय: 16:00 बजे किया जायेगा। उक्त प्रतियोगिता से सम्बन्धित समस्त व्यवस्थायें श्री मुकेश सिंह रावत, प्रतिसार निरीक्षक, पुलिस लाईन्स, मेरठ द्वारा पूर्ण करायीं गयीं।





MEDIA